

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 12/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.01.2026

डॉ० अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 08.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – मेंहनगर, जनपद – आजमगढ़

मतदाता सूची सत्यापन कार्य में बाधा डालकर मारपीट करने वाले वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 05.01.2026 को थाना मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जाफरपुर में मतदाता सूची सत्यापन (SIR) का कार्य चल रहा था, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर भाजपा बूथ अध्यक्ष जयश्री चौहान एवं महामंत्री राजेन्द्र चौहान द्वारा आपत्ति की गई। इसी बात को लेकर बलिराम चौहान व उसके साथियों द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडा, ईंट-पत्थर एवं धारदार हथियार से जयश्री चौहान पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे उन्हें सिर व हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं तथा वह बेहोश होकर गिर पड़े। ग्रामीणों के हस्तक्षेप से उनकी जान बच सकी। जाते-जाते अभियुक्तों द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।

उक्त घटना के संबंध में थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 07/2026, धारा 3(5)/110/352/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण :-

दिनांक 07.01.2026 को उपनिरीक्षक उमेश सिंह मय हमराह हेका0 अनिल कुमार द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त राजनेत चौहान पुत्र फूलबदन चौहान, निवासी ग्राम जाफरपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय 16:00 बजे गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय भेजा गया।

►दिनांक 08.01.2026 को उपनिरीक्षक आदिल खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्तों 1.राकेश चौहान पुत्र बलिराम चौहान उम्र 31 वर्ष, 2.अम्बुज चौहान पुत्र सुभाष चौहान उम्र 22 वर्ष 3.फूलबदन चौहान पुत्र छोहाड़ा चौहान उम्र 59 वर्ष निवासीगण जाफरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़, 4.छोटेलाल चौहान पुत्र खुन्नु चौहान उम्र 45 वर्ष निवासीगण जाफरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को उनके घर से समय 13.00 बजे गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

- राजनेत चौहान पुत्र फूलबदन चौहान, निवासी – जाफरपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।
- राकेश चौहान पुत्र बलिराम चौहान उम्र 31 वर्ष, निवासी जाफरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
- अम्बुज चौहान पुत्र सुभाष चौहान उम्र 22 वर्ष, निवासी जाफरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
- फूलबदन चौहान पुत्र छोहाड़ा चौहान उम्र 59 वर्ष निवासी जाफरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
- छोटेलाल चौहान पुत्र खुन्नु चौहान उम्र 45 वर्ष निवासीगण जाफरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग :-

- मु0अ0सं0 07/2026 धारा 3(5)/110/352/351(3) बीएनएस, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :-

- उमेश सिंह थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़
- उपनिरीक्षक आदिल खान थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़
- हेमंत अनिल कुमार थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक : 08.01.2026

थाना : रानी की सराय, जनपद : आजमगढ़

ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी के मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की गई ट्रैक्टर-ट्रॉली व मोटरसाइकिल बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 07.01.2026 को वादी श्री राममिलन यादव पुत्र स्वर्गी भानराम यादव, निवासी ग्राम खलिलाबाद, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 06/07.01.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर के सामने खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी कर ली गई है। उक्त सूचना के आधार पर थाना रानी की सराय पर मुआओसं 04/2026, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त 1.सुजीत कुमार पुत्र भूलन राम, निवासी मोलनापुर माफी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ 2.जितेन्द्र मौर्या पुत्र बसावन मौर्या, निवासी मोलनापुर माफी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ 3.राहुल पुत्र सूर्यनाथ, निवासी मोलनापुर माफी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण :-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत, क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष रानी की सराय के नेतृत्व में दिनांक 08.01.2026 को उपनिरीक्षक हैदर अली मंसूरी एवं उपनिरीक्षक सूरज तिवारी मय हमराही कर्मचारीगण क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुख्य विवर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र सूर्यनाथ, निवासी मोलनापुर माफी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ को अम्बेडकर पार्क ऊँचीगोदाम तिराहा से समय करीब 08:45 बजे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण :-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त राहुल उपरोक्त ने बताया कि उसने अपने साथी अभियुक्त सुजीत कुमार व जितेन्द्र मौर्या के साथ मिलकर पहले निजामाबाद नगर पालिका के पास खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी करने का प्रयास किया था, किन्तु अधिक प्रकाश व लोगों की आवाजाही के कारण इरादा छोड़ दिया। इसके पश्चात कस्बा रानी की सराय की ओर लौटे समय थाना रानी की सराय से कुछ दूरी पर सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली को अपने ट्रैक्टर में टोचन कर चोरी कर लिया। पुलिस चेकिंग के भय से चोरी की गई ट्रैक्टर-ट्रॉली को बाबा बड़ेला ताल के पास सुनसान स्थान पर छिपा दिया गया था।

बरामदगी :-

- एक अदद ट्रैक्टर-ट्रॉली
- एक अदद मोटरसाइकिल (बुलेट)

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

01. राहुल पुत्र सूर्यनाथ, निवासी – मोलनापुर माफी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग :-

01. मु0अ0स0 04/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 हैदर अली मंसूरी(थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़)
2. उ0नि0 सूरज तिवारी(थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़)
3. का0 प्रमोद यादव(थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़)
4. का0 सर्वेश कुमार(थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़)
5. का0 अरविन्द कुमार(थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़)
6. का0 धीरज पटेल (थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़)

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक : 08.01.2026

जनपद : आजमगढ़

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान, पम्पलेट वितरण व रिफ्लेक्टर टेप लगाकर वाहन चालकों को किया गया जागरूक

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ। श्री अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (01.01.2026 से 31.01.2026) के अंतर्गत आज दिनांक 08.01.2026 को श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक यातायात जनपद आजमगढ़ श्री विवेक त्रिपाठी के नेतृत्व एवं प्रभारी निरीक्षक यातायात जनपद आजमगढ़ श्री संजय कुमार पाल के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों एवं तिराहों पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

इस दौरान आमजन, राहगीरों एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों से संबंधित पम्पलेट वितरित कर हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन, नशे की हालत में वाहन न चलाने, गलत दिशा में वाहन न चलाने एवं सुरक्षित यातायात व्यवहार के प्रति जागरूक किया गया।

रिफ्लेक्टर टेप अभियान :-

यातायात सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए साइकिल, दो पहिया वाहन, ऑटो रिक्षा, ई-रिक्षा, टैम्पू तथा मालवाहक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाए गए, जिससे रात्रि के समय दर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके।

अपील :-

यातायात पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई कि वे स्वयं तथा अपने परिवार की सुरक्षा हेतु यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें एवं सुरक्षित, सुव्यवस्थित व सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।